विनोदन

अंत्येष्टि के मामले को लेकर श्री मार्कोस की पत्नी इमेल्डा मार्कोस और फिलीपीन की राष्ट्रपति एक्विनो के बीच ठनी हुई है। जिस समय फर्डिनेंड मार्कोस के डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर होने का संकेत दिया था तभी कोराजोन एक्विनो ने घोषणा कर दी थी कि वे किसी भी कीमत पर मार्कोस को जीवित या मृत स्वदेश लाने की अनुमति नहीं देंगी। और श्रीमती मार्कोस ने भी ऐलान कर दिया था कि वे अपने पति की अंत्येष्टि फिलीपीन से बाहर कर ही नहीं सकतीं।

फिलीपीन : मामला मार्कोस के शव का

सत्ताइस सितंबर को फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस का होनोलूलू के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन स्वदेश में अंत्येष्टि की प्रतीक्षा में उनका शव इन पंक्तियों के लिखने तक उनके हवाई स्थित निवासस्थान पर रखा हुआ है।

अंत्येष्टि के मामले को लेकर श्री मार्कोस की पत्नी इमेल्डा मार्कोस और फिलीपीन की राष्ट्रपति एक्विनो के बीच ठनी हुई है। जिस समय फर्डिनेंड मार्कोस के डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर होने का संकेत दिया था तभी कोराजोन एक्विनो ने घोषणा कर दी थी कि वे किसी भी कीमत पर मार्कोस को जीवित या मृत स्वदेश लाने की अनुमति नहीं देंगी। और श्रीमती मार्कोस ने भी ऐलान कर दिया था कि वे अपने पति की अंत्येष्टि फिलीपीन से बाहर कर ही नहीं सकतीं। जब मार्कोस ने आँखें मूंद लीं तो उनकी पत्नी अड़ गईं कि उनके पति की लाश तब तक हवाई में रखी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति एक्विनो फिलीपीन लाने की इजाजत नहीं देतीं। श्रीमती मार्कोस का कहना है कि राष्ट्रपति एक्विनो सत्ता के मद में भावनाओं की कद्र करना भी भूल गई हैं।



इमेल्डा मार्कोस : पति की अंत्येष्टि का प्रश्न



एक्विनो : दृढ़ प्रतिज्ञ



मार्कोस : दो गज जमीन न मिल सकी

श्रीमती एक्विनो के निर्णय में परिवर्तन की सारी उम्मीदें हारकर आखिकार श्रीमती मार्कोस के समर्थकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और पिछले सप्ताह इस अड़ियल रुख की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। राष्ट्रपति एक्विनो का तर्क है कि श्री मार्कोस का शव स्वदेश लाने की अनुमति देने से देश में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अव्यवस्था पैदा हो जाने की संभावना है श्रीमती एक्विनो के अनुसार मार्कोस की मृत्यु से देश के अंदर विवाद खड़ा हो गया है और वे इसे और बढ़ाना नहीं चाहतीं। श्रीमती एक्विनो का संकट सही है क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति सलवाडोर लॉउस और कई मंत्रियों ने उनसे शव स्वदेश लाने की अनुमति देने का आग्रह किया है लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग हैं।

चूंकि मामले को श्रीमती एक्विनो ने राजनीतिक रंग दे दिया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती मार्कोस के समर्थकों की याचिका स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल से इस सम्बन्ध में जवाब तलब किया है और दस दिनों के अंदर स्पष्ट करने को कहा है कि किस आधार पर राष्ट्रपति एक्विनो, फर्डिनेंड मार्कोस का शव स्वदेश लाने की अनुमति नहीं दे रही हैं, क्योंकि यह विषय कहीं से भी संवैधानिक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल ही सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

फर्डिनेंड मार्कोस १९६६ में फिलीपीन के राष्ट्रपति बने और किसी भी राष्ट्रपति से ज्यादा समय तक उन्होंने शासन किया। पहले चार वर्ष की अवधि तक तो उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से शासन किया लेकिन जब दुबारा अगले चार वर्ष के लिए चुन लिए गए तब उनके मंसूबे काफी बढ़ गए और उन्होंने मार्शल लॉ लगाकर तानाशाही प्रवृत्ति अपना ली। दुर्योग से उन्हें पत्नी भी वैसी ही मिली थी। इमेल्डा ब्यूटी क्वीन थीं और विलासिता में जीने की आदी भी। मार्कोस से शादी के बाद तो मानो उनके पंख लग गए। कहते है वास्तव में सत्ता का सही उपयोग इमेल्डा मार्कोस ने ही किया, क्योंकि अपने पति की ओर से उन्हें मनमानी करने की छूट मिली हुई थी। दोनों ने अपने निवास और ऐशो-आराम में सरकारी कोष खोखला करके छोड़ दिया। त्राहि-त्राहि कर रही जनता की उन्हें जरा भी फिक्र नहीं थी लेकिन इमेल्डा मार्कोस की एक बार की खरीदारी खर्च लाखों डॉलरों में था।

लोग आखिर कब तक सहन करते, विद्रोह हुआ और मार्कोस १९८६ में फिलीपीन को कर्ज में डूबा हुआ छोड़कर भाग निकले। उन्होंने होनोलूलू में निर्वासित जीवन व्यतीत करना चाहा लेकिन राजकोष का सारा पैसा मार्कोस ने अमेरिका में संपत्ति अर्जित करने और कलात्मक वस्तुएं खरीदने में खर्च किया था। इसलिए एक ही साथ होनोलूलू, लॉस एंजिलिस, सीएट्ल, वाशिंगटन और वर्जीनिया में अमरीकी अपराध कानून के तहत इन पर घपले का मुकदमा ठोक दिया गया जिनका फैसला होने से पहले ही वे चल बसे। फिलीपीन सरकार का कहना था कि मार्कोस ने अपने देश के राजकोष का १० अरब डॉलर विदेशी बैंकों में जमा कर रखा था।

-शशिधर खां